

न्यायालय उपरवण अधिकारी मुसावर

गिणत वारा 212 RTA सि.नं. 33/25 उनवन  
शिवचरण गोंवनाम रामराज गोंव

15-07-25 आज यह पत्रावली पेशा दुई वकुलाय पक्षायन  
उपलित हमने बहस उभय पक्ष अधिवक्ता गण की  
सुनी गइ पत्रावली का अर्को कठ मिमा गमा तथा  
इसमें सामिल इलावेजी रिपोर्ट का मकीम लिमध-  
पन मिमा गमा तो पाया कि मुमि का बार्ड मीटिंग  
एवं बाऊन्ड विमजन नही हुआ है सह खातेदार  
का प्रत्येक इंच प्य कबजा माना गाना वाजिव है  
ऐसी स्तर में अनावरण मुकदमा वाजी न बदे  
यूनि पक्षकारान सह खाते दार है तथा पक्षकारान  
के हकों का विधारण इला में साक्ष्य व सबूतों  
के परीक्षण के पश्चात ही सज्जो तथा अन्य खातेदारान  
को अल्यार्ड विषे धाडा से पावन मिमा गाना  
उचित नही पाते है।

अतः याचना - पत्र प्रार्थना. अन्तर्गत धादा  
212 RTA इसी अहेर पर खालिज मिमा जावा है  
तथा न्यायालय धजा द्वारा जारी अल्यार्ड विषे धाडा  
मिदि दिनांक 09.04.2025 भी निरस्त मिमा जावा है  
गिणत आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे  
द्वारा लिखाया जाक सह इजलास सुनाया गया  
पत्रावली के लम सुमाए होक नम्बर से कठ ही बाद  
लकमीम जावा दाखिल दफतर है।

(गवेरमाम मीणा)  
उपरवण अधिकारी  
मुसावर संजो